

समाज कल्याण विभाग,
दिल्ली सरकार जी.एल.एन.एस. परिसर,
दिल्ली गेट, दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या— 395

दिनांक :— 28.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम— श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सत्य है कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए समाज में सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए 'निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016' अधिसूचित किया है;	जी, है।
(ख) क्या यह सत्य है कि अभी तक दिव्यांगों की केवल 7 श्रेणियां हैं जबकि विधेयक पारित हो जाने पर 21 श्रेणियां हो जाएंगी;	दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियां हो गई हैं।
(ग) क्या यह सत्य है कि दिव्यांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ जाएगा;	जी हां।
(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने इसे अभी तक पारित नहीं किया है;	दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, केंद्र सरकार के अधिसूचना द्वारा 19.04.2017 से पूरे देश में लागू हो चुका है
(घ) क्या सरकार का इस बिल को पारित करने को लेकर क्या इरादा है; और	उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए नियमावली बनाने की प्रक्रिया जारी है।
(छ) क्या सरकार दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा के लिए अलग विभाग गठित करने जा रही है?	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।



Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002